**पूर्व में घोषित काउंसिलिंग प्रकिया की कण्डिका 7 के बिन्दु (ii) के उपरान्त निम्नलिखित बिन्दुओं का समावेश किया गया है।**

(iii) अभ्यर्थी को नियम के नियम–6(xi) में वर्णित मूल दस्तावेजों प्रोफार्मा–1 का भाग–अ एवं भाग–ब की दो प्रतियों को भरकर ( इस प्रोफार्मा का प्रिंट आउट अभ्यर्थी पोर्टल से प्राप्त कर सकेगा) को भरकर स्कूटनी हेतु प्रस्तुत करना होगा। स्कूटनी में पात्र पाये गये अभ्यर्थियों को स्कूटनी समिति द्वारा हस्ताक्षरित प्रोफार्मा–1 (भाग–अ एवं भाग–ब) की एक प्रति अभ्यर्थी को उपलब्ध कराई जायेगी। इस प्रति को अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश के समय आवंटित महाविद्यालय की प्रवेश समिति को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(iv) अभ्यर्थी जिन्होंने अपना स्नातक पाठयक्रम (MBBS/BDS) भारत से बाहर किसी अन्य देश से किया है एवं उनके पास स्टेट मेडिकल कौंसिल अथवा मेडिकल कौंसिल ऑफ इण्डिया का रजिस्ट्रेशन (Registration) नहीं है, ऐसे अभ्यर्थियों को नेशनल बोर्ड आफ एग्जामिनेशन (NBE) के लेटर हेड (Letter Head) पर जारी किया गया स्क्रीनिंग टेस्ट पास मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(v) निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध एन.आर.आई. सीटों के लिये ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन एवं च्वाईस फिलिंग एम.पी. स्टेट कम्बाईण्ड पी.जी. काउंसिलिंग–2017 की प्रथम चरण की काउंसिलिंग में घोषित रजिस्ट्रेशन एवं च्वाईस फिलिंग की अवधि में (25 मार्च से 4 अप्रेल 2017) किया जायेगा।

(vi) सभी निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों रिक्त रही एन.आर.आई. सीटों की जानकारी 09 मई 2017 सांयकाल 5:00 बजे तक कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा को उपलब्ध करायेगें।